न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या – 25/2018
दायरा दिनांक – 22/06/2018
निर्णय दिनांक – 29-1-21

उनवान

1. महावीर सिंह पुत्र गिरधारी लाल जाति अहीर निवासी ढाणी लालावाली तह0 बानसूर जिला अलवर राज0

-- प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण :-
1. **प्रार्थी** – श्री विष्णु दत्त शर्मा एड0
2. **अप्रार्थी** – पैरोकार सरकार

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश मेरे समक्ष पेश हुई। पत्रावली के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं0 79 रकबा 1.36 है0 वाकै मौजा बानसूर तह0 बानसूर जो साबिक ख0नं0 64 रकबा 1.66 है0 वाकै मौका बानसूर से दौराने बन्दोबस्त सम्वत् 2060 बनाये गये है, में से 543.4 वर्गफुट भूमि प्रार्थी द्वारा जरिये रजि0 बयनामा के सीताराम पुत्र सुरजा जाति माली से खरीद की थी। जिसके आधार पर इन्तकाल भी दर्ज हो चुका था जिसका अमल जमाबंदी सम्वत् 2060 में हो चुका है। लेकिन सम्वत् 2060 के बाद चौसाला बनाते समय राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी को कम करके केवल 37.16 वर्गमीटर ही दर्ज कर दिया। विक्रेता मुरारीलाल पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राहमण निवासी श्यामपुरा से दिनांक 11.07.2008 को खरीद किया था। वक्त खरीद से आज दिनांक तक काबिज चला आ रहा है तथा नामान्तकरण सं0 18 तत्कालीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने सम्वत् सं0 2060 के बाद उक्त अंकन को बिना किसी कारण के हटा दिया। जबकि इस तरह राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रिकॉर्ड को हटाने का उन्हें कोई अधिकार नही था। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक बयनामा के आधार पर आये अमल जंमाबंदी सम्वत् 2060 के अनुसार हाल जमाबंदी में जरिये शुद्धीपत्र के कुल रकबा 37.36 वर्गमीटर के स्थान पर 60.37 वर्गमीटर सही किया जाकर तहसीलदार बानसूर को अंकन करने हेतु आदेश दिये जावें।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि [illegible] बयनामा के आधार पर आये अमल जमाबंदी सम्वत् 2060 के अनुसार हाल जमाबंदी में जरिये शुद्धीपत्र के कुल रकबा 37.16 वर्ग मीटर के स्थान पर 60.37 वर्ग मीटर सही किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:07 IST
Reason: SelfAttested

rajesh/court decision/2021/S.D.O./136 महावीर बनाम तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0एक्ट के अनुतोष में रकबा कम/बेसी करवाना चाहा गया है। परन्तु किस खातेदार का रकबा कम/बेसी किया जावे यह नही दर्शाया गया है ना ही सहखातेदारों को पक्षकार बनाया गया है , ना ही सम्पूर्ण रिकॉर्ड/दस्तावेजात की प्रति पेश की गयी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0एक्ट की जद में नही आने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर 'अलवर'

आज दिनांक 21/1/21 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर 'अलवर'

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner